रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012021-224830
CG-DL-E-30012021-224830

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 29, 2021/माघ 9, 1942
No. 46] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 29, 2021/MAGHA 9, 1942

केंद्रीय सतर्कता आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2021

फा. सं. 016/व्हीजीएल/073 (अ).—केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (2003 का 45) की धारा 3 की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 21 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: --

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सतर्कता आयोग (सचिव के कर्तव्य और शक्तियां) विनियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अध्याय 2

परिभाषाएं

2. परिभाषाएं--(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2002 (2003 का 45) अभिप्रेत है ; और

(ख) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किंतु अधिनियम में परिभाषित है, क्रमश: वही अर्थ होंगे, जो उनके अधिनियम में हैं ।

अध्याय 3

सचिव के कर्तव्य और शक्तियां

3. सचिव के कर्तव्य और शक्तियां–(1) आयोग का सचिव, आयोग के सचिवालय का प्रशासनिक प्रधान होगा ।

(2) आयोग के सचिव के कर्तव्य, शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगे,--

(क) आयोग के दिन-प्रतिदिन प्रशासन की देखभाल करना और उसके अधिकारियों और कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण करना ;

(ख) किसी विनिश्चय या उस पर आदेश के लिए आयोग को शिकायतें प्रस्तुत करना या प्रस्तुत करवाना ;

(ग) शिकायतों, याचिकाओं, आवेदनों या अभ्यावेदनों से संबंधित विषय में कोई आरंभिक सत्यापन करना या करवाना और आवश्यक स्पष्टीकरण अभिप्राप्त करना ;

(घ) आयोग के आदेशों और निदेशों के उचित प्रवर्तन को सुनिश्चित करना या करवाना ;

(ङ) भारत की संचित निधि से भारित किए जाने वाले आयोग के व्यय को अनुमोदित करना ;

(च) आयोग द्वारा संदाय किए जाने वाले वेतन और अन्य संदायों को आहरित करने और संवितरित करने के लिए आयोग के अधिकारी को प्राधिकृत करना ;

(छ) आयोग के बजट प्राक्कलनों को अनुमोदित करना ;

(ज) केंद्रीय सरकार के नियमों और मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप अधीनस्थ अधिकारियों को वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित करना ;

(झ) आयोग के अभिलेखों का उचित रूप में रखरखाव करने के लिए तथा उसकी मुद्राओं और स्टांपों की अभिरक्षा करने के लिए आयोग के किसी अधिकारी को प्राधिकृत करना ;

(ञ) आयोग के अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूची और उनके विनष्ट किए जाने की अनुसूची को अनुमोदित करना ;

(ट) आयोग की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने, उसके प्रस्तुत किए जाने को सुनिश्चित करना या करवाना ;

(ठ) आयोग द्वारा जारी आदेशों, सूचनाओं या निदेशों की प्रतियों को अधिप्रमाणित करना या उन्हें अधिप्रमाणित करने के लिए आयोग के अवर सचिव से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी को प्राधिकृत करना ;

(ड) रोकड़ बही के रखरखाव को तथा अतिशेष को बंद किए जाने को सुनिश्चित करना या करवाना ;

(ढ) रिपोर्टों, व्यय विवरण,बजट प्राक्कलनों को, जिनकी अपेक्षा की जाए, तैयार करना या करवाना ;

(ण) आयोग के कर्मचारिवृंद द्वारा किए जा रहे कार्य के मूल्यांकन का पुनर्विलोकन करना या पुनर्विलोकन करवाना और जब कभी आवश्यक समझा जाए, आयोग की मानव संसाधन अपेक्षाओं का भी पुनर्विलोकन करना या पुनर्विलोकन करवाना और केंद्रीय सतर्कता आयोग के पूर्व अनुमोदन से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को ऐसे प्रस्ताव को उसके द्वारा विचार करना और मंजूरी के लिए प्रस्तुत करना ;

(त) ऐसे किन्हीं अन्य कृत्यों का पालन करना, जो आयोग द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे जाए ;

(थ) आयोग की सभी मामलों में सहायता करना, जैसा आयोग निदेश दे ।

सुधीर कुमार, अपर सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./480/2020-21]

IndiaCode

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2021

F. No. 016/VGL/073 (E). -In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 21 read with sub-section (4) of section 3 of the Central Vigilance Commission Act, 2003 (45 of 2003), the Central Vigilance Commission, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.−(1) These regulations may be called the Central Vigilance Commission (Duties and Powers of Secretary) Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

CHAPTER II

DEFINITIONS

2. Definitions.−(1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Central Vigilance Commission Act, 2003 (45 of 2003); and

(b) "section" means a section of the Act.

(2) Words and expressions used in these regulations and not defined but defined in the Act shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act.

IndiaCode

CHAPTER III

DUTIES AND POWERS OF SECRETARY

3. Duties and powers of Secretary. -(1) The Secretary to the Commission shall be the administrative head of secretariat of the Commission.

(2) The duties, powers and functions of the Secretary to the Commission shall be to-

(a) look after the day to day administration of the Commission and exercise administrative control over its officers and staff;

(b) submit or cause to be submitted complaints to the Commission for a decision or order thereon;

(c) make or cause to be made any preliminary verification into the matter connected with the complaints, petitions, applications or representations and to obtain necessary clarifications;

(d) ensure or cause to be ensured proper enforcement of the orders and directions of the Commission;

(e) approve expenditure of the Commission to be charged from the Consolidated Fund of India;

(f) authorise an officer of the Commission to draw and disburse salaries and other payments to be made by the Commission;

(g) approve budget estimates of the Commission;

(h) delegate financial powers to the subordinate officers in consonance with the rules and guidelines of the Central Government;

(i) authorise an officer of the Commission for maintenance of the records of the Commission in proper form and to have the custody of its seals and stamps;

(j) approve the retention schedule and the schedule of destruction of records of the Commission;

(k) ensure or cause to be ensured preparation and submission of Annual Report of the Commission;

(l) authenticate or to authorise any officer of the Commission not below the rank of Under Secretary to authenticate the copies of orders, notices or directions issued by the Commission;

(m) ensure or cause to be ensured maintenance of a cash book and to close the balance;

(n) prepare or cause to be prepared reports, expenditure statement, budget estimates, as may be required;

(o) review or cause to be reviewed the assessment of work being handled by the Commission's staff and also review or cause to be reviewed, as and when considered necessary, the human resource requirements of the

Commission, and with the prior approval of the Central Vigilance Commissioner submit such proposal to the Department of Personnel and Training for its consideration and sanction;

(p) perform any other functions as may be entrusted to him by the Commission from time to time; and

(q) assist the Commission in all matters as the Commission may direct.

SUDHIR KUMAR, Addl. Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./480/2020-21]

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2021.01.30 16:44:18 +05'30'